

अहकाम  
की तारीख

वेडन. 132/2007

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
की तारीख में जारी हुए

21/9/2012

दोनों पक्षों के अधिवक्ता 397/1  
 पहला मुंबई गडि ऑफ पब्लिक  
 पर धन 2 दिना तथा जवाबदी का  
 गारंटीरता पूर्वक अवलोकन किया  
 जिनमें पाया कि वादी की ओर  
 से खोलेवादी घोषणा का वाद पैदा  
 किया है, जो मूलवाद में काफ़ी  
 जख्मों के आधार पर तब होगा  
 कि वादी राहत प्राप्त करने के इच्छुक  
 है अथवा नहीं इतना उफ़रवा  
 में समझना आवेगा जारी किने  
 जाने का कोई औचित्य नहीं  
 वहीं होता है, क्योंकि विवादित धूमि  
 के उत्पत्तिगत खोलेवादी नहीं है, जेसा  
 ब्रह्म में उत्पत्तिगत का आवेदन-पत्र  
 निरस्त होना है

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

तल्लिका उत्पत्तिगत का आवेदन  
 पर शकहीत तल्लो के आधार पर  
 देने के कारण खोलेवादी किया जाता है  
 जवाबदी केवल मुंबई होकर  
 स्थान है।

*[Signature]*  
 सहायक कलेक्टर  
 (S.D.O.) बालोतरा